कार्यालय, प्रधानाचार्य / मुख्य कार्यपालन अधिकारी

हकीम सैय्यद ज़ियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय / चिकित्सालय

(कोलार–नेहरू नगर बायपास रोड, मैनिट के पीछे, भोपाल)

Web: www.gumcbhopal.in E.mail: gumcbhopal@gmail.com Ph. 0755-2970354

स्था. / 2024 / 4987–90 भोपाल, दिनांक: 18/10/24

:: विज्ञापन ::

:: म0प्र0 शासन, आयुष विभाग, भोपाल द्वारा विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत हकीम सै0 ज़ियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, भोपाल में दिव्यांगजनों की विशेष भर्ती अभियान ::

हकीम सै0 ज़ियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, भोपाल में म0प्र0 शासन, आयुष विभाग, भोपाल द्वारा दिव्यांगजनों की भर्ती स्टाफ नर्स–01 पद, वार्डबॉय–01 पद एवं भृत्य–01 पद पर **दिनांक 05–11–2024** को समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक किया जाना निर्धारित है।

इस संबंध में समस्त आवश्यक जानकारी महाविद्यालय में उपस्थित होकर अथवा महाविद्यालय की वेबसाईट www.gumcbhopal.in पर उपलब्ध है।

MB
(डॉ0 महमूदा बेगम)
प्रधानाचार्य / मुख्य कार्यपालन अधिकारी
हकीम सैयद ज़ियाउल हसन शासकीय / स्वशासी
यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

Add 2023

कार्यालय, प्रधानाचार्य / मुख्य कार्यपालन अधिकारी

हकीम सैययद जियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय / चिकित्सालय

(कोलार–नेहरू नगर बायपास रोड, मैनिट के पीछे, भोपाल)

Web: www.gumcbhopal.in E.mail: gumcbhopal@gmail.com Ph. 0755-2970354

क्र. / स्था. / 2024 / 4987-90 भोपाल, दिनांक 18/10/24

:: विज्ञापन ::

:: विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों हेतु रिक्त पदों की पूर्ति ::

म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक / एफ 8–2 / 2013 / आ0प्र0 / एक, दिनांक 04 / 01 / 2024, संचालनालय आयुष म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ–252 / 2024 / 4–स्थापना / 2294–2302, दिनांक 22.07.2024 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमाक एफ 7–19 / 2019 / आ.प्र. / एक, दिनांक 31.05.2024 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 7275 / 2019 विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30 जनवरी 2024 के परिपालन में दिव्यांगजनों के लिए चिन्हांकित किए निम्नांकित रिक्त पदों की पूर्ति "**वॉक–इन–इंटरव्यू**" के माध्यम से दिनांक **05.11.2024** को निम्नानुसार की जाना है :–

क्र0	पद का नाम	श्रेणी	रिक्त पद संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	वेतनमान	रिमार्क
01	स्टाफ नर्स	तृतीय	01–LD	विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी नर्सिंग / जी0एन0एम0 परीक्षा उत्तीर्ण। संबंधित बोर्ड मे रजिस्टीकरण।	28700–91300 लेवल–7	दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित विकलागता अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा मे। हाथों की विकलागता को छोडकर शेष प्रकार की अस्थि बाधित विकलागता स्वीकार्य जिसकी अधिकतम सीमा 60 प्रतिशत स्वीकार्य है।
02	वार्डबॉय	चतुर्थ	01–LD	माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल अथवा किसी बोर्ड से हाईस्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण।	15500–49000 लेवल–1	–तदैव–
03	भृत्य	चतुर्थ	01–VH	मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।	15500–49000 लेवल–1	–तदैव–

- LD- लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रेल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी
- VH- दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि।
- रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनशील है।

2/ **अन्य आवश्यक शर्तें –**

1– अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हता अनुसार 01 से अधिक पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

2– उपरोक्त पदों हेतु अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

3– अभ्यर्थी का जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता का जीवित प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

4– नियुक्ति के पश्चात् निःशक्तता प्रमाण पत्रों का परीक्षण जिला मेडिकल बोर्ड से कराया जावेगा तथा प्रमाण पत्र सत्य पाये जाने पर चयनित पद पर उपस्थित करवाया जावेगा। यदि जांच में निःशक्तता प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

5– सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी–3–11 / 12 / 1 / 3, दिनांक 03 नवम्बर 2012 के अनुसार दिनांक 01 / 01 / 2024 की स्थिति में अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकत 45 वर्ष होना चाहिऐ।

6– तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के समस्त पदों के लिये अभ्यर्थियों का म0प्र0 राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पजीयन होना अनिवार्य है।

7– पूर्व से सेवारत / अन्य विभाग में कार्यत कर्मचारी, नियोक्ता के अनुमति /अनापत्ति प्रमाण पत्र के माध्यम से ही साक्षात्कार में उपस्थित हो सकेंगे।

8– आवेदन के साथ समस्त मूल प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 02 सेट छायाप्रतियॉ आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है। प्रमाण–पत्रों के अभाव में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

Add 2023

कार्यालय, प्रधानाचार्य / मुख्य कार्यपालन अधिकारी

हकीम सैय्यद ज़ियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय / चिकित्सालय

(कोलार–नेहरू नगर बायपास रोड, मैनिट के पीछे, भोपाल)

Web: www.gumcbhopal.in E.mail: gumcbhopal@gmail.com Ph. 0755-2970354

9– आवेदन के साथ पासपोर्ट आकार के 04 नवीनतम रंगीन फोटो अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। जिसमें 01 फोटो आवेदन पर लगाना होगा।

10– अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है –

- शैक्षणिक अर्हता संबंधी अंकसूची / अभिलेख।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र। (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई0डब्ल्यू0एस0)
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म0प्र0 राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र।
- जन्मतिथि के सत्यापन हेतु वैध प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता / विकलांगता / दिव्यांगता प्रमाण पत्र। (निःशक्तता 40 प्रतिशत (मैट्रिक्स) अथवा

  अधिक होने पर ही स्थाई निःशक्तता प्रमाण–पत्र मान्य किया जायेगा।
- पुलिस चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप में अनुप्रमाणन फार्म (02 प्रतियों में)
- यू.डी.आई.डी. (UDID No.) प्रमाण पत्र।

11– अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए विधि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो, उपरोक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

12– यदि अभ्यर्थी की 02 से अधिक जीवित संतान है एवं उनमें से 01 संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, तब ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

13– उपरोक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति स्वशासी संस्था के नियमों के अंतर्गत शासित होगी। चयनोपरान्त नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार प्रधानाचार्य, हकीम सै0 ज़ियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के पास सुरक्षित रहेंगे।

14– मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) द्वारा ज्ञाप क्रमांक एफ 8 / 4 / 2001 / आ.प्र. / एक (पार्ट) दिनांक 03 / 07 / 2018 के जारी निर्देशानुसार दिव्यांगजनों की परिभाषित श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के संबंध में राज्य शासन द्वारा वर्तमान एवं समय–समय पर जारी किये गए नियम/निर्देशों के अनुरूप चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपाल अधिकारी, हकीम सै0 ज़ियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा की जावेगी।

15– अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र / पत्रों के असत्य / नकली / कूटरचित पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से स्वयंमेव समाप्त मानी जायेगी एवं अभ्यर्थी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

16– विज्ञापित पद पर चयनित अभ्यर्थी को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जावेगा। म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी / 3–13 / 2019 / 3 / एक, दिनांक 12 / 12 / 2019 द्वारा परिवीक्षा अवधि में उक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

17– किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य / मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

MBeg

(डॉ0 मेहमूदा बेगम)
प्र0प्रधानाचार्य / मुख्य कार्यपालन अधिकारी
हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय / स्वशासी
यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल